

FORM OF ORDER SHEET
IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
[Arbitration Case No.-42/2020]

Sundar Sah.....Appellant

Versus

State of Bihar & Others.....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	25.8.2026	आदेश NHAI एवं राज्य उपस्थित। आवेदक अनुपस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि आवेदक विगत 09 (नौ) तिथियों से सुनवाई में लगातार अनुपस्थित हैं। आज भी आवेदक द्वारा इस वाद में कोई पैरवी नहीं किया गया। प्रस्तुत वाद में आवेदक द्वारा NH-107 परियोजना के लिए उनकी अधिग्रहित भूमि अंचल-कहरा, मौजा-पड़री, थाना नं०-136, खाता सं०-743, खेसरा सं०-687, रकवा-0.0105 ए० के किस्म एवं घर-मकान का उचित मुल्यांकन कर मुआवजा भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है। विपक्षी (DLAO एवं NHAI) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त परियोजना हेतु NH Act-1956 के धारा 3A के तहत दिनांक-06.05.2015 को प्रकाशित अधिसूचना एवं धारा 3D के तहत दिनांक-02.05.2016 को प्रकाशित अधिघोषणा में अधिग्रहित खेसरा सं०-687 का किस्म 'आवासीय' दर्ज है। साथ ही समाहर्ता, सहरसा द्वारा गठित Six Men Committee के स्थल निरीक्षणोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में विहित रीति से मूल्य की गणना कर NH Act-1956 की धारा 3G के तहत मौजा-पड़री/136 के अंकित खेसरो/भूमि का संशोधित प्राक्कलन दिनांक-02.11.2018 को NHAI से स्वीकृति हेतु भेजा गया, जिसकी NHAI के द्वारा दिनांक-24.12.2018 को स्वीकृति उपरांत पंचाट तैयार कर सभी रैयतों को दिनांक-30.05.2019 को नोटिस निर्गत किया गया। आवेदक के आवेदन में Cause of Action नहीं है एवं उनके द्वारा अपने दावा के समर्थन में वर्णित भूमि के सम्परिवर्तन (Change in land use) से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है। Ministry of Road Transport and Highway Govt. of India के परिपत्र सं०-NH-11011/30/2017/LA, दिनांक-28.12.2017 के द्वारा NH Act-1956 के तहत भू-अर्जन के संबंध में निर्गत Comprehensive guidelines की कंडिका-10(iii) के प्रावधान तथा कंडिका-02 में वर्णित तथ्यों के आलोक में अर्जित भूमि (मौजा/थाना नं०-पड़री/136 खेसरा सं०-687, अर्जित रकवा-0.0105) भूमि का किस्म सम्परिवर्तन से संबंधित आवेदक द्वारा दायर किया गया वाद खारिज किया जा सकता है। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेजों तथा विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा दाखिल जवाब व अभिलेखों के आलोक में आवेदक के भूमि के किस्म के अनुरूप देय मुआवजा राशि का भुगतान संगत नियमों के आलोक में किया गया है। फलस्वरूप प्रासंगिक मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा घोषित अवार्ड उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधितों को भेजे।  आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित।  आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

